फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

थी :– डूंगा | विपक्षी :–नारायण
स्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 01/23

मांक | कार्यवाही विवरण | हस्त पार्टी सूच जारी ग

दिनांक : 11.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 7 द्वारा जवाव पेश नहीं किया गया। जवाव का अवसर बंद किया जाता है। विपक्षी 6, 8, 9 अनुपस्थित है। आवाजें दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 6, 8, 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। विपक्षी संख्या 10 द्वारा जवाव पेश नही करना चाहा। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कडेचा पटवार हल्का वाणियातलाई तहसील भीण्डर की खाता संख्या नया 51 की खसरा स[illegible]7, 269 किता 2 क्षेत्रफल 0.8300 हेक्टेयर भूमि के चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को निर्देशित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.15 16:50:45 IST
Reason: SelfAttested